न्यायालय लैण्ड रेकार्ड ऑफीसर एवं उपखण्ड अधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
44/2015	20.03.2015	14.02.2024

उनवान

1. छोटूलाल पुत्र हीरा लाल जी जाट, आयु वयस्क, निवासी सालरा, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. गोपाललाल पुत्र रामकिशन जी लढ़ा आयु वयस्क, निवासी न्यु हाउसिंग बोर्ड शास्त्रीनगर, भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1. नारायण पुत्र कजोड़ गाडरी, आयु वयस्क निवासी आकोला, प0 क्षे0 सिदडियास तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. कनीराम पुत्र रोड़ा गाडरी, आयु वयस्क निवासी आकोला तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. देवा पुत्र रोड़ा गाडरी आयु वयस्क निवासी आकोला तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
4. गोपी पुत्र रोड़ा जी गाडरी, आयु वयस्क निवासी आकोला तह0 एव ंजिला भीलवाड़ा
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा

विपक्षीगण

उपस्थितः–अधिवक्ता प्रार्थीगण राजेन्द्र कुमार कचोलिया
अधिवक्ता अप्रार्थी 02 से 04 कैलाश राव,
अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 चितरंजन पाण्डे

–: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट बाबत् रेकार्ड में हुई त्रुटि को दुरस्थ कराये जाने :–

–: **निर्णय** :–

दिनांक 14/02/2024

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम आकोला पटवार क्षेत्र सिदडियास भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र महुआकलां तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी नम्बर 876/93 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा स्थित है। उक्त आराजी श्रीमती स्नेहलता पत्नी श्यामसुन्दर काकाणी से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से सप्रतिफल क्रय कर अपने आधिपत्य में प्राप्त की। श्रीमती स्नेहलता काकाणी ने उक्त आराजी विपक्षी संख्या 01 नारायण पुत्र कजोड़ गाडरी से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय की थी। राजस्व नक्शे में 876/93 के बट्टा नम्बर 876/93/1 व 876/93/2 दर्ज रेकार्ड थे। प्रार्थीगण ने उक्त आराजी में से 876/93/1 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा भुमि को उत्तरी दिशा में अवस्थित है, क्रय कर अपने आधिपत्य में प्राप्त की एवं वक्त क्रय से ही उक्त क्रयशुद्धा भुमि पर काबिज हो उपयोग, उपभोग करता चला आ रहा है। विपक्षी संख्या 02 से 04 की भूमि प्रार्थीगण की क्रयशुद्धा भूमि आराजी नम्बर 876/93/1 के दक्षिण में स्थित होकर उसके आराजी नम्बर 876/93/2 है। पटवारी हल्का ने विपक्षी संख्या 02 से 04 से मिलाभगती करते हुए राजस्व नक्शे में दर्ज प्रार्थीगण की क्रयशुद्धा व कब्जेशुद्धा भूमि 876/93/1के स्थान पर राजस्व नक्शे में गलत तौर पर तरमीम कर आराजी नम्बर 876/93/1 के साथ ही नये नजरी नक्शे में

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

लालस्याही से 1, 02, 03 अंकित कर दिया और इसे विभाजन के रूप में दिखा रखा है। जो कि गलत है। क्योंकि उक्त आराजी नम्बर 876/93/1 ही है, लेकिन जब उक्त 01, 02, व 03 के बारे में पटवार हल्का से कहा गया तो उन्होने कहा की ये नम्बर तो अंकित रहेगे। जबकि उक्त प्रकरण से अंकन का पटवार हल्का को कोई अधिकार नहीं है।

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार कराया जाकर ग्राम आकोला पटवार क्षेत्र सिदडियास तह0 एवं जिला भीलवाड़ा के राजस्व नक्शे में तरमीम कराई जाकर राजस्व नक्शे में वर्तमान अंकित आराजी नम्बर 876/93/1, 876/93/2, 876/93/3 के बजाय आराजी नम्बर 876/93/1 जो कि प्रार्थीगण की क्रयशुद्धा है अंकित कराई जाए एवं राजस्व नक्शे से प्रार्थीगण की आराजी में अंकित 01, 02 व 03 को हटाया जाए व विपक्षी संख्या 02 से लगायत 04 की आराजी प्रार्थीगण के दक्षिण में स्थित होने से उनका अंकन उसी स्थान पर राजस्व रेकार्ड में रखाया जाए। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में जमाबन्दी ग्राम आकोला पटवार क्षेत्र सिदडियास भू अभिलेख नि0 महुआकलां के सम्वत् 2071–2074 कनीराम पिता रोड़ा गाडरी सा0 देह0 खातेदार दर्ज रेकार्ड एवं इसी ग्राम की जमाबन्दी खाता संख्या 402 स्नेहलता पत्नी श्यामसुन्दर काकाणी सा0 आजाद नगर भीलवाड़ा दर्ज होकर बिकाव से पुरा खाता नामान्तकरण संख्या 1217 दिनांक 27.01.2015 से स्नेहलता के बजाय छोटूलाल पिता हीरा जाट निवासी सालरा मजरा सांगानेर, गोपाललाल पिता रामकिशन लढ़ा निवासी न्यू हाउसिंग बोर्ड शास्त्रीनगर भीलवाड़ा दर्ज है एवं जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 के खाता संख्या 126 देवा पिता रोड़ा गाडरी की प्रस्तुत की एवं जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 खाता संख्या 83 गोपी पिता रोड़ा गाडरी की प्रस्तुत की। साथ ही राजस्व नक्शा की प्रमाणित प्रति पेश की है। ग्राम आकोला की जमाबन्दी सम्वत् 2047–2050 खातेदार नाराण पिता कजोड़ गाडरी की प्रमाणित प्रति संलग्न की है, जमाबन्दी सम्वत 2038–2041 की खाता संख्या 61 की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति, जमाबन्दी 2063–2066 के खाता संख्या 130, 131 की प्रमाणित प्रति, जमाबन्दी 2055–2058 के खाता संख्या 107 की प्रमाणित प्रति, जमाबन्दी 2051–2054 के खाता संख्या 102 की प्रमाणित प्रति एवं नामान्तकरण बटवाड़ा आदेश बेवा पिता रोड़ा गाडरी एवं कनीराम गाडरी की फोटोप्रति 03, जमाबन्दी 2071–2074 खाता संख्या 402, जमाबन्दी 2071–2074 खाता संख्या 126, जमाबन्दी 2071–2074 खाता संख्या 83 की फोटोप्रति पेश की है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी के नोटिस जारी किए गए। विपक्षी संख्या 1 से 04 का दिनांक 23.03.2018 को जवाब बंद किया गया। विपक्षी संख्या 05 का दिनांक 26.09.2018 को जवाब बंद किया गया। प्रकरण में मैरिट पर निर्णय किया जाना है। प्रकरण में तहसीलदार भीलवाड़ा को मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु पत्र दिनांक 25.06.2019 को जारी किया। तहसीलदार भीलवाड़ा ने अपने पत्र क्रमाक भू–अभिलेख/2019 /2950 दिनांक 01.08.2019 से आराजी संख्या 876/93 रकबा 1बीघा 15 बिस्वा भूमि का मौका रिपोर्ट मौका पर्चा एवं नजरी नक्शे अनुसार प्रस्तुत किया। विपक्षी की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित है। प्रार्थीगण अधिवक्ता की एवं राजस्थान राज्य की ओर से पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए राजस्व नक्शे को मौका रिपोर्ट दिनांक 22.07.2019 एवं नजरी नक्शें के अनुसार राजस्व नक्शें में तरमीम दुरूस्ती कराने की प्रार्थना की है। विपक्षी की ओर से पेरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र के स्वीकार करने में कोई आपती प्रकट नहीं की है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का परीक्षण किया गया। उपयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं ग्राम आकोला की आराजी नम्बर 876/93 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा भूमि खातेदार छोटूलाल पिता हीरा जाट निवासी सालरा व गोपाल लाल पिता रामकिशन लढ़ा निवासी न्यू हाउसिंग बोर्ड शास्त्रीनगर भीलवाड़ा का आराजी नम्बर 876/93 का कब्जा इस आराजी के उत्तर की तरफ आराजी नम्बर 94 से लगता हुआ कब्जा काश्त है एवं आराजी नम्बर 945/93, 944/93, 943/93 का कब्जा काश्त आराजी नम्बर 93 से लगता हुआ है। जबकि वर्तमान लट्ठा अनुसार आराजी नम्बर 876/93 की नक्शा तरमीम आराजी नम्बर 93 से लगता हुआ किया हुआ है एवं आराजी नम्बर 945/93, 944/93, 943/93 की नक्शा तरमीम आराजी नम्बर 94 से लगती हुई की गई है, जो त्रुटिपुर्ण है। अतः प्रार्थीगण की आराजी नम्बर 876/93 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा भूमि की वर्तमान मौका व नजरी नक्शा रिपोर्ट अनुसार इस आराजी के उत्तर दिशा में स्थित आराजी नम्बर 94 से लगती हुई नक्शे में तरमीम किया जानां एवं आराजी नम्बर 945/93, 944/93, 943/93 भूमि की वर्तमान मौका व नजरी नक्शा रिपोर्ट अनुसार आराजी नम्बर 93 से लगती हुई नक्शे में तरमीम किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है। अतएव

<u>आदेश</u>

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट का स्वीकार किया जाकर ग्राम आकोला पटवार हल्का सिदडियास भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र महुआकलां तहसील व जिला भीलवाडा की आराजी नम्बर 876/93 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा भूमि खातेदार छोटूलाल पिता हीरा जाट निवासी सालरा व गोपाल लाल पिता रामकिशन लढ़ा निवासी न्यू हाउसिंग बोर्ड शास्त्रीनगर भीलवाड़ा का आराजी नम्बर 876/93 का कब्जा इस आराजी के उत्तर की तरफ आराजी नम्बर 94 से लगता हुआ कब्जा काश्त है एवं आराजी नम्बर 945/93, 944/93, 943/93 का कब्जा काश्त आराजी नम्बर 93 से लगता हुआ है। जबकि वर्तमान लट्ठा अनुसार आराजी नम्बर 876/93 की नक्शा तरमीम आराजी नम्बर 93 से लगता हुआ किया हुआ है एवं आराजी नम्बर 945/93, 944/93, 943/93 की नक्शा तरमीम आराजी नम्बर 94 से लगती हुई की गई है, जो त्रुटिपुर्ण है। अतः प्रार्थीगण की आराजी नम्बर 876/93 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा भूमि की वर्तमान मौका व नजरी नक्शा रिपोर्ट अनुसार इस आराजी के उत्तर दिशा में स्थित आराजी नम्बर 94 से लगती हुई एवं आराजी नम्बर 945/93, 944/93, 943/93 की आराजी नम्बर 93 से लगती हुई नक्शा तरमीम वर्तमान राजस्व नक्शा लट्ठाशीट में दुरूस्ती किए जाने के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार भीलवाड़ा के पत्र क्रमाक 2950 दिनांक 01.08.2019 रिपोर्ट पटवारी सिदडियास मौका पर्चा दिनांक 22.07.2019 में अंकित नजरी नक्शा इस आदेश की पालना हेतु पार्ट रहेगा। तहसीलदार भीलवाड़ा राजस्व नक्शे में तरमीम दुरूस्ती कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। निर्णय की एक प्रति पालनार्थ तहसीलदार भीलवाड़ा को प्रेषित की जाए।

Ahad

(आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ)

उपखण्ड अधिकारी

भीलवाड़ा